पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारक

अय्याज़ अहमद खान*

शिक्षा किसी भी समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का संकेतक है। स्नातक स्तर पर तकनीकी या गैर-तकनीकी शिक्षा का चयन दुनिया भर में एक बहस का विषय है। इस शोध पत्र में पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की पारिवारिक और संस्थागत पृष्ठभूमि के आधार पर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन तथा इन विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में प्रतिदर्श इकाई के रूप में कुल 180 पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों (90 बी.टेक कोर्स तथा 90 बी.ए. कोर्स) का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रासंगिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा किया गया। प्रदत्त संकलन हेतु उपकरण के रूप में स्व-निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए आवृत्ति तथा प्रतिशत मूल्य गणना का उपयोग किया गया। इस शोध अध्ययन में निष्कर्ष में पाया गया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर सामान्य वर्ग, एकल परिवार और शिक्षित माता-पिता के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा दोनों में नामांकन अधिक है। वहीं संस्थागत पृष्ठभूमि के आधार पर तकनीकी शिक्षा में निजी स्कूलों एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन अधिक है। अधिकांश प्रतिभागियों ने आवासीय स्थान, परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ, विद्यालयी परिवेश और व्यक्तिगत पसंद को शिक्षा विषयात्मक चयन का प्रभावी कारक माना है।

शिक्षा किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास का संकेतक है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिस के द्वारा मानवीय क्षमताओं एवं संसाधनों का सर्वोत्तम विकास संभव है। साथ ही, न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस आधार पर यह कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के सर्वोच्च विकास हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत में इक्कीसवीं सदी में शिक्षा की अवधारणा में भी परिवर्तन देखा गया है, जिसका एक मुख्य उदाहरण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 4 अगस्त 2009 को भारत में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा

**सहायक प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, मुर्शिदाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 202001

करना है। साथ ही विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 के शैक्षिक संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की नई पाठ्यचर्यात्मक संरचना लागू की जाएगी। इस शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु (तीन साल) तक के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी या प्री-स्कूलिंग का प्रावधान किया गया है। इस नीति में स्नातक स्तर पर समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की बात कही गई है, जो विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती है।

उच्च स्तर पर शिक्षा को मुख्यतः दो श्रेणी तकनीकी शिक्षा एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में विभाजित किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर पर विद्यार्थी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में से किसी एक का चयन अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करते हैं। हालाँकि केवल रुचि और योग्यता ही शिक्षा विषयात्मक चयन का आधार नहीं है। शिक्षा विषयात्मक चयन को प्रभावित करने वाले और भी बहुत से कारक हैं। यादव (2016) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद के अलावा आयु, जेंडर, धर्म, जाति, वर्ग और माता-पिता की शिक्षा भी विषयात्मक चयन में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। बसंत और सेन (2010) ने अपने शोध में पाया कि उच्च शिक्षा में भागीदारी विद्यार्थियों की धार्मिक संबद्धता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर निर्भर है। वहीं आज नव-उदारवादी नीतियाँ और बाज़ार की माँग के अनुसार दुनिया में तकनीकी शिक्षा की ओर विद्यार्थियों का रुझान तेजी से बढ़ा है। विश्व के अधिकांश देशों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कई प्रकार की नीतियाँ और योजनाएँ बनाई जा रही हैं ताकि इस वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धी दुनिया में शिक्षा राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो।

शोध अध्ययन का औचित्य

चक्रवर्ती (2009) ने ग्रामीण और शहरी युवाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी की संभावना के संदर्भ में किए अपने शोध में पाया कि शहरी भारत में महिलाएँ अपने समकक्ष पुरुष की तुलना में उच्च शिक्षण संस्थान में कला और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का अधिक चयन करती हैं। वहीं वर्मा और कपूर (2010) ने अपने शोध में विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आई.आई.टी. तक उनकी पहुँच के मध्य एक मज़बूत संबंध पाया। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि विषयात्मक चयन को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं।

भारत में मुस्लिमों का उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व केवल पाँच प्रतिशत है, जो अन्य वर्गों की तुलना में काफ़ी कम है (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, 2017–18)। सच्चर समिति (2006) और रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिम शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हैं, जिसने शिक्षाविद् एवं नीति-निर्माताओं का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि मुसलमानों की शिक्षा से जुड़े अधिकांश अध्ययन

उनके नामांकन और शैक्षणिक उपलब्धियों पर आधारित हैं। लेकिन शिक्षा विषयात्मक चयन के संदर्भ में अब तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ है कि स्नातक स्तर पर मुस्लिम विद्यार्थी अपने विषयात्मक चयन हेतु कैसे निर्णय लेते हैं? साथ ही, वे कौन-से कारक हैं जो विषयात्मक चयन को प्रभावित करते हैं? इस सभी प्रश्नों के उत्तरों की खोज हेतु शोधार्थी ने इस विषय का चयन किया है।

समस्या कथन

इस शोध अध्ययन का समस्या कथन था— "पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों का अध्ययन"।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त पदों की क्रियात्मक परिभाषाएँ

पूर्व-स्नातक

इस अध्ययन में पूर्व-स्नातक से तात्पर्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हैं। इसके अंतर्गत बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम, बी.बी.ए., बी.टेक आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं।

मुस्लिम विद्यार्थी

इस अध्ययन में मुस्लिम विद्यार्थी से तात्पर्य वे सभी विद्यार्थी हैं जो इस्लाम धर्म तथा मूल्यों के अनुयायी हैं।

शिक्षा विषयात्मक चयन

इस अध्ययन में शिक्षा विषयात्मक चयन से तात्पर्य स्नातक स्तर पर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा डिग्री या पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन करना है।

उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य अग्रलिखित थे—

- पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की पारिवारिक और संस्थागत पृष्ठभूमि के आधार पर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन का अध्ययन करना।
- पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों का अध्ययन करना।

परिसीमाएँ

यह शोध कार्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी डिग्री कोर्सेज में अध्ययनरत पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों तक परिसीमित है।

जनसंख्या तथा प्रतिदर्श

यह शोध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी डिग्री कोर्सेज के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों पर आधारित है। अत: इस शोध की जनसंख्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी डिग्री कोर्सेज में स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे सभी मुस्लिम विद्यार्थी हैं। इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का चयन केवल इस आधार पर किया गया है कि यहाँ अधिकांश विद्यार्थी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। प्रतिदर्श के रूप में पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के चयन हेतु सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी डिग्री कोर्सेज की सूची वेबसाइट से ली गई। तत्पश्चात शोधार्थी द्वारा बी.टेक. (तकनीकी शिक्षा से) एवं बी.ए. (गैर-तकनीकी शिक्षा से) कोर्स का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रासंगिक प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया है। इसके बाद 90 बी.टेक. तथा 90 बी.ए.

कोर्स में अध्ययनरत पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का सुविधानुसार चयन किया गया। प्रत्येक कोर्स में 45 पुरुष तथा 45 महिला मुस्लिम विद्यार्थी सम्मिलित थीं। अतः प्रतिदर्श इकाई के रूप में कुल 180 पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का चयन किया गया था।

उपकरण

इस अध्ययन में आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का चयन साहित्यिक सर्वेक्षण और साक्षात्कार के आधार पर किया गया था। इस प्रश्नावली में कुल 13 प्रश्न थे, जो दो खंडों में विभाजित थे। खंड 'क' में विद्यार्थी के पारिवारिक और संस्थागत पृष्ठभूमि संबंधी छह प्रश्न थे, जिसमें मुख्यतः प्रतिभागी थे सामाजिक श्रेणी, परिवार के प्रकार, माता-पिता की शिक्षा, विद्यालय के प्रकार, विद्यालय का संबद्ध बोर्ड, विद्यालय का स्थान आदि शामिल हैं। खंड 'ख' में शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों पर आधारित सात प्रश्न थे, जो क्रमशः विद्यार्थियों के आवासीय स्थान, जन्म-क्रम, परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ, विद्यालयी परिवेश, 12वीं कक्षा के प्राप्तांक, विद्यालयी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं व्यक्तिगत पसंद से संबंधी प्रश्न शामिल हैं। खंड 'क' के सभी प्रश्न के उत्तर 'बहुविकल्पीय' तथा खंड 'ख' में प्रश्नों को तीन स्तरों— सहमत, निष्पक्ष उदासीन तथा असहमत पर प्रतिक्रियाएँ ली गईं। जिसमें प्रतिभागी को किसी एक विकल्प के सामने सही का चिह्न लगाना था।

आँकड़ों के संकलन

आँकड़ों के संकलन के लिए शोधार्थी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बी.टेक तथा बी.ए. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों से संपर्क किया गया। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को शोध के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई और प्रश्नावली भरवाई गई। आँकड़ों का संकलन 30 नवंबर 2022 तक पूरा किया गया था।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

आँकड़ों के विश्लेषण के लिए शोधार्थी द्वारा आवृत्ति तथा प्रतिशत मूल्य गणना का उपयोग किया गया था। जिसका उद्देश्यवार विवरण एवं विवेचना निम्न प्रकार है—

प्रथम उद्देश्य— पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की पारिवारिक और संस्थागत पृष्ठभूमि के आधार पर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन का अध्ययन करना

इसके अंतर्गत पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन के अध्ययन हेतु समस्त एकत्रित आँकड़ों का वर्गीकरण, आवृत्ति तथा प्रतिशत मूल्य गणना के आधार पर विश्लेषण किया गया तथा इसके परिणाम को क्रमशः तालिका 1, 2 तथा 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 73.33 व 61.44 प्रतिशत है। जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 26.67 व 35.56 प्रतिशत है। अतः प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हम कह सकते है कि अन्य पिछड़े वर्ग के मुस्लिम विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

तालिका 1— पारिवारिक पृष्ठभूमि और तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन

चर		तकनीकी शिक्षा		गैर-तकनीकी शिक्षा	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
सामाजिक श्रेणी	सामान्य वर्ग	66	73.33	58	61.44
	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	26.67	32	35.56
परिवार के प्रकार	संयुक्त परिवार	24	26.67	30	33.33
	एकल परिवार	66	73.33	60	66.67

दोनों तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में सामान्य वर्ग के मुस्लिम विद्यार्थियों की तुलना में कम है। इसकी वजह शायद यह हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भूमिहीन होते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय नौकरी तथा मज़दूरी है।

अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग विशेष के बच्चे उच्च शिक्षा से पहले आर्थिक गतिविधियों में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार संयुक्त परिवार से संबंधित पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 26.67 व 33.33 प्रतिशत है। जबकि एकल परिवार से संबंधित पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 73.33 व 66.67 प्रतिशत है। अतः प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार से संबंधित मुस्लिम विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा दोनों में ही एकल परिवार की तुलना में काफ़ी कम है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि संयुक्त परिवार में बहुत लोग एक साथ रहते हैं जिससे बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं मिल पाता और साथ ही प्रत्येक सदस्य को घर के कार्यों में हाथ बटाना पड़ता है। संभवतः शैक्षिक वातावरण के अभाव और घरेलू कार्यों में संलिप्तता के कारण संयुक्त परिवार के बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि बड़े परिवार के बच्चों की तुलना में छोटे परिवार के बच्चे अधिक शैक्षिक असुविधा या नुकसान का सामना करते हैं।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि निरक्षर पिता के बच्चों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 2.22 व 3.33 प्रतिशत है। जबकि निरक्षर माता के बच्चों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 3.33 व 13.33 प्रतिशत है। वहीं प्राथमिक से उच्च-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त पिता के बच्चों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 2.22 व 8.89 प्रतिशत है। जबकि सामान योग्यता प्राप्त माता के बच्चों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 6.77 एवं 20 प्रतिशत है।

इसी क्रम में माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त पिता के बच्चों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 5.56 एवं 20 प्रतिशत है। जबकि समान योग्यता प्राप्त माता के बच्चों का 25.56 एवं 31.11 प्रतिशत तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन है।

तालिका 2— माता-पिता की शैक्षिक योग्यता और तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन

चर		तकनीकी शिक्षा		गैर-तकनीकी शिक्षा	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	पिता	2	2.22	3	3.33
	माता	3	3.33	12	13.33
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	पिता	2	2.22	8	8.89
	माता	6	6.67	18	20
माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक	पिता	5	5.56	18	20
	माता	23	25.56	28	31.11
स्नातक और उससे अधिक	पिता	81	90.00	61	67.78
	माता	58	64.44	32	35.56

जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, तो स्नातक और उससे अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त माता-पिता के बच्चों का तकनीकी (64.44 एवं 90 प्रतिशत) एवं गैर-तकनीकी शिक्षा (35.56 एवं 67.78 प्रतिशत) में नामांकन सर्वाधिक है। अतः प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शिक्षित माता-पिता के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में अधिक है। जबकि कम शिक्षित माता-पिता के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व दोनों ही प्रकार की शिक्षा में कम है। निश्चित रूप से कम शिक्षित अभिभावकों के बच्चों का प्रतिनिधित्व कम होने की वजह अज्ञानता और जागरुकता का अभाव है। अतः इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि माता-पिता की शैक्षिक योग्यता निश्चित रूप से बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन एवं उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (अकसा और अन्य, 2013; इदरीस हुसैन अहमद और अन्य, 2020)।

तालिका 3 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 44.45 व 56.67 प्रतिशत है। जबकि निजी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन 52.22 व 40 प्रतिशत है। हालाँकि अन्य स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन क्रमशः 3.33 व 03.33 प्रतिशत है। अतः आँकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा में निजी विद्यालय और गैर-तकनीकी शिक्षा में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन अधिक है। इसके अतिरिक्त यह पता चलता है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा दोनों में नामांकन संतोषजनक है, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लाभ बच्चों को मिल रहा है।

तालिका 3— संस्थागत पृष्ठभूमि और तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन

चर		तकनीकी शिक्षा		गैर-तकनीकी शिक्षा	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
विद्यालय के प्रकार	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	40	44.45	51	56.67
	निजी विद्यालय	47	52.22	36	40.00
	अन्य विद्यालय	03	3.33	03	03.33
संबद्ध बोर्ड	सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.	52	57.78	55	61.11
	राज्य बोर्ड	09	10.00	23	25.56
	मुक्त विद्यालय	02	2.22	01	01.11
	अन्य	27	30.00	11	12.22
विद्यालय का स्थान	शहरी	82	91.11	65	72.22
	ग्रामीण	08	08.89	25	27.78

न्यादर्श में चयनित विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 57.78 प्रतिशत तकनीकी एवं 61.11 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का संबद्ध बोर्ड सी.बी.एस.ई/ आई.सी.एस.ई., 10 प्रतिशत तकनीकी एवं 25.56 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा का संबद्ध राज्य बोर्ड, 2.22 प्रतिशत तकनीकी एवं 1.11 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा का संबद्ध मुक्त विद्यालय तथा 30 प्रतिशत तकनीकी एवं 12.22 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा का संबद्ध अन्य बोर्ड से है। अतः प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड संबद्ध स्कूलों के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में अधिक है। इसकी वजह शायद यह है कि सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से संचालित विद्यालय निजी होते हैं और साथ ही इंग्लिश माध्यम में शिक्षा प्रदान करते है, जिसके कारण इन स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप यहाँ से शिक्षित विद्यार्थियों का नामांकन उच्च शिक्षा में अधिक है। इसी प्रकार 91.11 प्रतिशत तकनीकी एवं 72.22 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकित विद्यार्थी शहरी विद्यालयों से हैं। जबकि केवल 8.89 प्रतिशत तकनीकी एवं 27.78 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकित विद्यार्थी ग्रामीण विद्यालयों से हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन शहरी क्षेत्र के स्कूलों से है। इसकी वजह यह है कि शहरी आबादी शिक्षा के प्रति जागरूक होती है और इन क्षेत्रों में निजी स्कूलों की संख्या भी अधिक होती है।

द्वितीय उद्देश्य— पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों का अध्ययन करना

इसके अंतर्गत पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा विषयात्मक चयन

तालिका 4— तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों के संदर्भ में पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ (प्रतिशत में)

क्र.	कथन	तकनीकी शिक्षा			गैर-तकनीकी शिक्षा		
		असहमत	निष्पक्ष	सहमत	असहमत	निष्पक्ष	सहमत
1.	क्या आवासीय स्थान का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	18.89	13.33	67.78	15.56	11.11	73.33
2.	क्या कनिष्ठ अथवा ज्येष्ठ संतान होने का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	55.56	7.78	36.66	46.67	14.44	38.89
3.	क्या परिवार की आर्थिक परिस्थितियों का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	16.67	5.55	77.78	31.11	8.89	60.00
4.	क्या विद्यालयी परिवेश का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	11.11	8.89	80.00	21.11	12.22	66.67
5.	क्या 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का विद्यार्थियों के स्नातक स्तर पर विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	27.78	22.22	50.00	32.22	20.00	47.78
6.	क्या विद्यालयी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का स्नातक स्तर पर विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	55.56	27.78	16.66	54.44	25.56	20.00
7.	क्या व्यक्तिगत पसंद का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है?	44.44	00	55.56	43.33	4.44	52.23

को प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिशत में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4 में शिक्षा विषयात्मक चयन संबंधी कारकों के प्रति पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 67.78 प्रतिशत तकनीकी एवं 73.33 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी आवासीय स्थान को विषयात्मक चयन के लिए एक प्रभावी कारक मानते हैं। इसकी वजह शायद यह हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से अपने समुदाय के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। साथ ही इस समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव देखा गया है। जिसके कारण मुस्लिम इलाकों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा और विषयात्मक चयन के संदर्भ में ज्ञान की कमी पाई जाती है। 77.78 प्रतिशत तकनीकी एवं 60 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा के मुस्लिम विद्यार्थियों का मत है कि परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन को प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण करने में अभिभावक की आर्थिक परिस्थितियों का अहम योगदान होता है।

इसी तरह का परिणाम फ़ाज़ और खान (2017), सोलंकी और नारायणस्वामी (2015), शौकीन और रेहमान (2014), इस्लाम और खान (2017) आदि ने अपने शोध में पाया है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन या उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं 80 प्रतिशत

तकनीकी एवं 66.67 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा के मुस्लिम विद्यार्थियों का मानना है कि विद्यालयी परिवेश का विद्यार्थियों के शिक्षा विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से विद्यालयी परिवेश का विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर विद्यालय में आधारभूत संरचना, पर्याप्त मानव संसाधन, बेहतर प्रशासन एवं प्रबंधन इत्यादि की कमी हो तो विद्यार्थियों का पूर्ण विकास असंभव है और साथ ही इसका प्रभाव विद्यार्थियों के उच्च स्तर पर शिक्षा विषयात्मक चयन पर भी पड़ता है। 55.56 प्रतिशत तकनीकी एवं 52.23 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा के मुस्लिम विद्यार्थियों का मानना है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद उनके विषयात्मक चयन को निर्धारित करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि आधे से अधिक विद्यार्थी व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर विषय का चयन करते हैं, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 50 प्रतिशत तकनीकी एवं 47.78 प्रतिशत गैर-तकनीकी शिक्षा के मुस्लिम विद्यार्थियों का मत है कि 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का स्नातक स्तर पर विषयात्मक चयन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के संदर्भ में मत विभाजित नहीं है अर्थात यह शिक्षा विषयात्मक चयन हेतु प्रभावी कारक नहीं है। जबकि पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा के 16.66 प्रतिशत एवं गैर-तकनीकी शिक्षा के 20 प्रतिशत विषयात्मक चयन के लिए विद्यालयी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को कारक मानते हैं। वहीं मुस्लिम विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा के 36.66 प्रतिशत एवं गैर-तकनीकी शिक्षा के 38.89 प्रतिशत कनिष्ठ अथवा ज्येष्ठ संतान को शिक्षा विषयात्मक चयन हेतु प्रभावी कारक मानते हैं। अतः मुस्लिम विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि विद्यालयी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों और कनिष्ठ अथवा ज्येष्ठ संतान जैसे कारकों का शिक्षा विषयात्मक चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में प्रदत्तों के विश्लेषण के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, वे इस प्रकार हैं—

- परिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर सामान्य वर्ग और एकल परिवार के पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों का तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन सबसे अधिक है। साथ ही तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में नामांकन सबसे अधिक शिक्षित माता-पिता के बच्चों का है।
- संस्थागत पृष्ठभूमि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि तकनीकी शिक्षा में निजी विद्यालय एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा में अधिकतर पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थी सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. संबद्ध बोर्ड और शहरी क्षेत्र के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त है।
- तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा के विषयात्मक चयन के प्रभावी कारक के रूप में सर्वाधिक पूर्व-स्नातक मुस्लिम विद्यार्थियों ने आवासीय स्थान, परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ, विद्यालयी परिवेश और व्यक्तिगत पसंद को माना है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों का विश्लेषण करने पर शैक्षिक निहितार्थ प्राप्त हुए हैं—

- मुस्लिम अभिभावकों की शैक्षिक जागरुकता पर बल दिया जाना चाहिए ताकि ये अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चों को जीवन आधारित शिक्षा प्रदान कर सकें।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा छात्रावास, छात्रवृति एवं अध्ययन सामग्री आदि की सुविधा उप्लब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन्हें शिक्षा प्राप्ति में कठिनाई न हो।
- ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा को प्रासंगिक और सार्थक बनाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का तकनीकी शिक्षा के प्रति रुझान पैदा हो सके।
- सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का तुरंत निपटारा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को संतुलित कर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
- सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सके।
- ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर मुस्लिम बच्चे गरीब होते हैं जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बच्चे ड्रॉप-आउट हो जाते हैं। अतः सरकार को ग्रामीण इलाकों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये बच्चे शिक्षा पूरी कर व्यस्क होने तक अपने परिवार के लिए रोज़ी-रोटी कमाने में सक्षम हो सकें।

संदर्भ

अक्सा, एस. और अन्य. 2013. इंपेक्ट ऑफ़ पेरेंट्स एजुकेशन ऑन चिल्ड्रेन्स अकादमिक परफ़ॉरमेंस. *सेकेंडरी एजुकेशन जर्नल.* 02(01), पृष्ठ संख्या 53–59. 3 दिसंबर 2021 को http://pu.edu.pk/images/journal/secondary/PDF/4_Aqsa%20&%20Maryam_v2_issue1.pdf से लिया गया है।

इदरीस, मुहम्मद, सज्जाद हुसैन और नासिर अहमद. 2020. रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एजुकेशन एंड देयर चिल्ड्रनस अकादमिक अचीवमेंट. 3 दिसंबर 2021 को https://www.researchgate.net/publication/348138126 से लिया गया है.

इस्लाम, एम.आर. और खान, जेड.एन. 2017. इंपैक्ट ऑफ़ सोसिओ-इकनॉमिक स्टेटस ऑन अकादमिक अचीवमेंट अमंग द सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्टूडेंट्स. *एजुकेशनल क्वेस्ट—ऐन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंस.* 08(02), पृष्ठ संख्या 665–670. 3 दिसंबर 2021 को http://ndpublisher.in/admin/issues/EQv8n34.pdf से लिया गया है.

चक्रवर्ती, ए. 2009. डेटर्मिनेन्ट्स ऑफ़ पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन एंड चॉइस ऑफ़ डिसिप्लिन्स—एविडेन्सेस फ्रॉम अर्बन एंड रूरल इंडियन यूथ. *साउथ एशिया इकनॉमिक जर्नल.* 10 (02), पृष्ठ संख्या 371–402.

फ़ाज़, एम. और जेड. एन. खान. 2017. ए स्टडी ऑफ़ अकादमिक अचीवमेंट ऑफ़ अपर प्राइमरी विद्यालय स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर. *एशियाई जर्नल्स ऑफ़ रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़,* 7 (6), पृष्ठ संख्या 121–127.

बसंत, आर. और जी. सेन. 2010. हु पार्टिसिपेट्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया? रीथिंकिंग द रोल ऑफ़ अफरमेटिव ऐक्शन. *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली.* एक्स.एल.वी. (39), पृष्ठ संख्या 62–70.

यादव, सर्वेन्द्र. 2016. इफेक्ट्स ऑफ़ सोसिओ-इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑन स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ़ डिसिप्लिन— ए स्टडी ऑफ़ फोर अकादमिक इंस्टीटूशन्स ऑफ़ नॉर्थ इंडिया. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन.* 30(3), पृष्ठ संख्या 231–246.

भारत का राजपत्र. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.* विधि और न्याय मंत्रालय. भारत सरकार. 6 जुलाई 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf से लिया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

वर्मा, आर. और डी. कपूर. 2010. एक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड फ्यूचर— अंडरग्रेजुएट एजुकेशन एट दी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी. हायर एजुकेशन. 59, पृष्ठ संख्या 703–717.

शौकीन, बिलाल और ए. रेहमान. 2014. ए स्टडी ऑफ़ अकादमिक परफ़ॉरमेंस इन साइंस स्ट्रीम इन रिलेशन टू सोसिओ-इकनॉमिक स्टेटस एट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय लेवल. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च.* 5 (1), पृष्ठ संख्या 1–4.

सोलंकी, एस. और एम. नारायणस्वामी. 2015. इन्फ्लुएंस ऑफ़ सोसिओ-इकनोमिक स्टेट्स ऑन अकादमिक अचीवमेंट ऑफ़ सेकेंडरी विद्यालय स्टूडेंट्स ऑफ़ बैंगलोर अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट. *जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल अकादमिक रिसर्च फ़ॉर मल्टीडिसीप्लीनरी.* 3 (9), पृष्ठ संख्या 158–166.